UPBG010042662025

Criminal Revision/135/2025

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं०–1, बागपत।

उपस्थितः नीरू शर्मा, एच.जे.एस.

जे०ओ०कोड–यू०पी० 2718

1. श्रीमती प्रिया वर्मा पुत्री संजय वर्मा निवासी पटटी अहीरान निकट आर्य समाज मन्दिर, कस्बा व थाना खेकडा, जिला बागपत।

................निगरानीकर्ता।

बनाम

1. विशाल वर्मा पुत्र अशोक वर्मा
2. अशोक वर्मा पुत्र जगन्नाथ वर्मा
3. श्रीमती मधु वर्मा पत्नी अशोक वर्मा
4. पीयूष शर्मा पुत्र अशोक वर्मा
5. तानिया पुत्री देशराज उर्फ देवराज ग्रोवर हाल निवासी RZ–262 गली नं०–10, विष्णु गार्डन, दिल्ली।

   निवासीगण 11/19 पटटी मीरापुर बावली रोड, कस्बा बडौत, थाना बडौत, जिला बागपत।
6. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बागपत।

.............विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी न्यायालय सिविल जज, जूनियर डिविजन/त्वरित, बागपत द्वारा परिवाद संख्या–979/2025, श्रीमती प्रिया वर्मा बनाम विशाल वर्मा आदि, थाना महिला थाना बागपत, जिला बागपत में पारित आदेश दिनांकित 20–05–2025, जिसके द्वारा विपक्षीगण विशाल वर्मा, अशोक वर्मा, मधु वर्मा, पीयूष शर्मा व तानिया को अं०धारा–115(2) बी०एन०एस० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विचारण हेतु तलब किया गया है, से क्षुब्ध होकर योजित की गई है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/परिवादिनी द्वारा अवर न्यायालय में प्रार्थनापत्र अं०धारा–156(3) दं०प्र०सं० इस आशय का योजित किया गया कि प्रार्थिनी प्रिया वर्मा की शादी हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार विशाल वर्मा पुत्र अशोक वर्मा के साथ दिनांक

Digitally signed by NEERU SHARMA
Date: 2026.05.01 17:06:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

12.12.2018 को सम्पन्न हुई थी। शादी में प्रार्थिनी के माता पिता ने करीब 15 लाख रूपये खर्च किये थे जिसमें पांच लाख रूपये नकद दिये गये थे बाकि ज्वैलरी कपडा इत्यादि और अन्य स्त्रीधन के रूप में खर्च किये थे। शादी के कुछ माह बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परन्तु उसके बाद ससुराल वालो के व्यवहार में बदलाव आ गया और सभी प्रार्थिनी के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार करने लगे। प्रार्थिनी के ससुराल वाले जिसमें पति विशाल वर्मा पुत्र अशोक वर्मा, ससुर अशोक वर्मा पुत्र जगन्नाथ वर्मा, सास मधु वर्मा पत्नी अशोक वर्मा, जेठ पीयूष वर्मा पुत्र अशोक वर्मा व तानिया जो जेठ पीयूष वर्मा के साथ रिलेशन शिप में साथ रह रही है, दहेज के रूप में 10 लाख रूपये की मांग करने लगे और दहेज की मांग को लेकर आये दिन प्रार्थिनी के साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच प्रार्थिनी को एक लडकी पैदा हुई, जिसके बाद प्रार्थिनी की सास ताने मारने लगी तथा कहने लगी कि ऐसी मनहूस है कि इसे लडकी हुई है, हमें तो लडके की जरूरत थी। इसी बात को लेकर उक्त विपक्षीगण प्रार्थिनी के साथ मारपीट करते थे तथा दहेज की मांग करते थे। कुछ समय बाद एस०बी०आई० लाईफ बैक में प्रार्थिनी के पति का प्रमोशन हो गया जो ब्रांच डवलपमेन्ट मैनेजर से सीनियर ब्रांच डवलपमेन्ट मैनेजर बन गया जिसके चलते प्रार्थिनी का पति विशाल आये दिन शराब पीकर मारपीट करता था। प्रार्थिनी अपनी छोटी बच्ची के भविष्य के लिए व अपने माता पिता की इज़्ज़त की खातिर सब कुछ सहन करती रही तथा प्रार्थिनी विपक्षीगण का मानसिक व शारीरिक उत्पीडन सहन करती रही। प्रार्थिनी की सास कहने लगी कि हमारे लडके की अच्छी खासी नौकरी है और अब तो मेरे बेटे का प्रमोशन भी हो गया है। हम अपने लडके की शादी ओर कही कर देगें और तुझे तलाक दे देगें और यहाँ से भगा देंगे। हमने अपनी बडी बहू को भी यहाँ से भगा दिया है, तुझे भी यहाँ से तलाक देकर भगा देंगे। हमें तो कोई भी दहेज में पैसा दे देगा। प्रार्थिनी ने सारी बात अपने घर अपने माता पिता से बतायी तो प्रार्थिनी के माता पिता कहने लगे कि हम तेरी ससुराल वालो से मिलकर बात करेंगे। प्रार्थिनी के माता पिता ने प्रार्थिनी की ससुराल वालो से बात की तो विपक्षीगण उनके साथ भी गाली गलौच से पेश आये तथा कहा कि तुम अपनी लडकी को यहाँ से ले जाओ, हमें इसे नहीं रखना। प्रार्थिनी के माता पिता ने हाथ जोडकर विपक्षीगण को समझाया तब जाकर विपक्षीगण माने। प्रार्थिनी के पति का कुछ दिन बाद फिर से प्रमोशन हो गया तथा जिनका प्रमोशन सीनियर डवलपमेन्ट मैनेजर से असिस्टेन्ट एरिया मैनेजर पर हो गया तथा पोस्टिंग देहरादून हो गयी। प्रार्थिनी की ससुराल वालो ने मिलकर कहा कि हमारे लडके का प्रमोशन हो गया है, अब हमे 10 लाख रूपये चाहिए जिससे हम वहाँ रहने के लिए छोटा सा मकान खरीद सके। प्रार्थिनी ने कहा कि कुछ दिन रूक जाओ, मैं घर बात करूंगी। प्रार्थिनी अपने पति के साथ देहरादून किराये के मकान में चली गयी। प्रार्थिनी का पति आये दिन शराब पीकर घर आता और आकर प्रार्थिनी के साथ गाली गलौच व मारपीट करता। प्रार्थिनी का पति दिनांक 1.12.2022 को रात के समय शराब पीकर घर आया और आकर कहने लगा कि अपने पिता से 10 लाख रूपये लाने को कह। मुझे इस किराये के मकान में नहीं रहना, मुझे

मकान लेना है। प्रार्थिनी ने अपने पति से कहा कि मेरे माता पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतना रूपया लाकर दे देगें तो प्रार्थिनी का पति जोर जोर से चिल्लाने लगा और मकान का दरवाजा बन्द कर दिया और कहने लगा कि तेरा काम तमाम कर देता हूँ और यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रार्थिनी के पति ने एक रखा हुआ हथौडा उठाया और प्रार्थिनी को जान से मारने की नियत से प्रार्थिनी के उपर उससे वार किये, जिससे प्रार्थिनी को गम्भीर चोट आयी। प्रार्थिनी जोर–जोर से चिल्लाई तो पडौस के व्यक्तियों ने आकर दरवाजा खुलवाया और उसके बाद प्रार्थिनी को छुडवाया, जिस पर प्रार्थिनी ने इन्द्रां नगर चौकी प्रभारी को जाकर सारी घटना बतायी। चौकी प्रभारी ने प्रार्थिनी का मैडिकल करवाया जिसमें प्रार्थिनी को काफी चोट पायी गयी तथा चौकी पुलिस द्वारा प्रार्थिनी के पति को पकड कर चौकी पर बैठा लिया तथा प्रार्थिनी ने अपने घर वालो को व ससुराल वालो को बुलाया तथा प्रार्थिनी का पति पुलिस चौकी पर ही प्रार्थिनी व उसके पिता के हाथ पैर जोडने लगा तथा प्रार्थिनी के ससुराल वाले भी प्रार्थिनी से माफी मांगने लगे और भविष्य में ऐसी गलती ना करने के लिए माफीनामा पुलिस प्रभारी के सामने लिखा तथा भविष्य में ऐसा न करने चेतावनी देकर चौकी इन्द्रानगर से छुडवा दिया तथा प्रार्थिनी दिनांक 2.12.2022 को ही अपने पिता के साथ अपने घर आ गयी तथा दिनांक 10.12.2022 को प्रार्थिनी के पिता प्रार्थिनी को छोडने कस्बा बडौत आये, जहाँ पर प्रार्थिनी के सभी ससुराल वाले थे, जिसमें सास मधु, ससुर अशोक, पति विशाल, जेठ पीयूष व प्रार्थिनी के पति का चाचा कृष्ण गोपाल तथा तथा तानिया जो जेठ के साथ रिलेशन शिप में रह रही है, वे मिले तथा उन्होने कहा अब यहाँ क्या लेने आयी है और यहाँ से भाग जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर विपक्षीगण ने एक राय मशबिरा होकर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पिता के साथ गाली गलौच व मारपीट करनी शुरू कर दी और धक्के देकर घर से निकाल दिया तथा कहा कि घर में जब घुसना जब 10 लाख रूपये का इन्तजाम हो जाये।

3. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 20–05–2025 पारित करते हुए विपक्षीगण विशाल वर्मा, अशोक वर्मा, मधु वर्मा, पीयूष शर्मा व तानिया को अं०धारा–115(2) बी०एन०एस० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विचारण हेतु तलब किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी योजित की गई।

4. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.05.2025 के विरूद्व मान्य न्यायालय में योजित की गयी है। अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.05.2025 निरस्त फरमाया जावे। निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्व उक्त मुकदमा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156 (3) सी०आर०पी०सी० के तहत अवर

न्यायालय के आदेश के द्वारा महिला थाना बागपत पर मुकदमा अपराध संख्या–32/2023 अर्न्तगत धारा 498ए, 323,504,506,307 आई०पी०सी० व 3/4 दहेज अधिनियम के तहत दिनांक 19.04.2023 को दर्ज कराया था। उक्त मुकदमे में निगरानीकर्ता द्वारा जो आरोप अपनी तहरीर में लिखाये गये है वह पूर्णतयाः सही है। परन्तु विवेचक द्वारा विपक्षीगण संख्या 1 ता 5 से साज करके उक्त मुकदमे में फाईनल रिपोर्ट लगाकर अवर न्यायालय में प्रेषित की गयी जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति दाखिल की गयी, जिसे अवर न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में व्यवहरित किया गया। अवर न्यायालय में निगरानीकर्ता द्वारा अपने ब्यान अर्न्तगत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दर्ज कराये गये तथा निगरानीकर्ता के गवाह सी०डब्लू० 1 वरूण वर्मा, व साक्षी सी०डब्लू० 2 संजय वर्मा, तथा साक्षी सी०डब्लू० 3 राजकमल वर्मा को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है जिन्होने निगरानीकर्ता के साथ विपक्षीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा कारित की गयी समस्त घटना व प्रताडना तथा निगरानीकर्ता से दहेज में 10 लाख रूपये की मांग को लेकर निगरानीकर्ता के साथ आये दिन मारपीट व गाली गलौच करने का ब्यान अवर न्यायालय में दिया है तथा निगरानीकर्ता के साथ विपक्षीगण 1 ता 5 द्वारा दहेज की मांग व मारपीट तथा प्रताडित करने की घटना का पूर्ण समर्थन किया है। ब्यान निगरानीकर्ता व ब्यान गवाहान के आधार पर विपक्षीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 85, 351, 352 बी०एन०एस० का अपराध भी बाखूबी साबित है। परन्तु अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता व उसके गवाहों के ब्यान का सम्यक रूप से परिशीलन नहीं किया है और विधि के विपरीत अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना यह प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.05.2025 पारित करते हुए विपक्षीगण संख्या 1 ता 5 को मात्र 115 (2) बी०एन०एस० व 3/4 दहेज अधिनियम मे विचारण हेतू तलब किया है जो किसी भी दशा में स्थिर रहने योग्य नहीं है और प्रत्येक दशा में निरस्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.05.2025 प्रत्येक दशा में निरस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थना है कि निगरानीकर्ता की निगरानी अंगीकृत करके स्वीकार की जावे तथा मान्य अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.05.2025 निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

5. पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी विपक्षीगण की और से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

6. उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

7. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दहेज की मांग करने हेतु अभियुक्तगण को अपराध अं०धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध

अधिनियम के तहत विचारण हेतु तलब किया है, परन्तु अभियुक्तगण को अपराध अं०धारा–85 बी०एन०एस० के अंतर्गत तलब नहीं किया है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अं०धारा–351, 352 बी०एन०एस० के अपराध भी बाखूबी साबित है, परन्तु अभियुक्तगण को उपरोक्त अपराध अं०धारा–351, 352 बी०एन०एस० में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तलब नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण को अपराध अं०धारा–85, 351, 352 बी०एन०एस० के अंतर्गत तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

8. इसके विपरीत विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः वर्तमान निगरानी निरस्त होने योग्य है।

9. निगरानी के क्षेत्राधिकारिता के सम्बन्ध में <u>Kaptan Singh and others Vs. State of M.P. and Anr., (1997) 6SCC 185, Ayodhya Vs. Ram Sumer Singh, 1982 SCC (Cri) 471, , Amit Kapoor Vs. Ramesh Chander, (2012) 9SCC 460</u> तथा अन्य कई विधिव्यवस्थाओ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि The revisional powers of the criminal courts is limited while exercising the jurisdiction and it cannot be used to reappreciate any evidence. It is confined to check that order passed by the subordinate court does not suffer from any error of law. It is also held by the Hon'ble Court that in order to exercise the revisional power, certain requirements must be satisfied. It was made clear that mere fact that the lower court's order had a mistake or irregularity did not justify the exercise of revisional jurisdiction. Revisional power should instead only be applied in situations where the order contains a "manifest illegality" that results in a "miscarriage of justice". Manifest illegality describes an error or legal transgression that is evident from the lower court's order. This could be in the form of a blatant disobedience to the law, irregularities in jurisdiction but when a significant injustice or unfairness befalls the matter, it is called a grave miscarriage of justice.

माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के ससम्मान अवलोकन से यह विदित होता है कि निगरानी न्यायालय आलोच्य आदेश की शुद्धता, वैधता तथा कार्यवाही की नियमितता को सुनिश्चित करने हेतु ही हस्तक्षेप कर सकती है।

10. वादिनी प्रिया द्वारा अपने परिवाद/प्रार्थनापत्र के समर्थन में अपने बयान अं०धारा–223 बी०एन०एस०एस० में यह कथन किया गया है कि "मेरी शादी विशाल वर्मा से दिनांक 12–12–2018 को हुई थी। मेरी शादी के कुछ दिन बाद विवाद शुरू हो गया था। मेरी शादी में पन्द्रह लाख रूपये खर्च हुए। शादी के बाद मुझे एक बेटी पैदा हुई, जिस कारण मेरी सास मधु वर्मा ताने देने लगी। मेरी सास के साथ मेरे ससुर, अशोक, मेरा जेठ पीयूष व एक लडकी तानिया जो मेरे जेठ के साथ लिव–इन में रहती है। शादी के बाद मेरे पति का प्रमोशन हो गया तो और पैसों की मांग शुरू हो गयी। मेरे जेठ का भी तलाक हो रखा है। दिनांक 01–12–2020 को मेरे पति शराब पीकर आये, मेरे साथ हथौडे से वार किया, जिससे मुझे काफी चोटे आयी, जिसकी मैंने न्यायालय से एफ०आई०आर० करायी थी। उसके बाद मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब मैं माफी मांगता हूँ, आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी, तो मैंने घर बचाने के लिए समझौता कर लिया। पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे में एफ०आर० लगा दी। 23–11–2023 को मेरे पति मारपीट करके घर से चले गये। उसके बाद मैं वापिस मायके आ गयी। मेरी बेटी मेरे पास है।"

11. सी०डब्लू०–01 वरूण वर्मा जो कि परिवादिनी का भाई है, ने अपने बयान अं०धारा–225 बी०एन०एस०एस० में मुख्यतः कथन किया है कि इसे इसकी बहन द्वारा बताया गया था कि इसकी बहन का पति विशाल वर्मा, ससुर अशोक वर्मा, सास मधु वर्मा, जेठ पीयूष वर्मा व तानिया दहेज के रूप में दस लाख रूपये की मांग करने लगे और दहेज को लेकर न आने पर इसकी बहन प्रिया के साथ मारपीट करने लगे। इस साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रिया के पति विशाल का प्रमोशन हो जाने पर प्रिया देहरादून चली गयी, जहां पर विशाल द्वारा शराब पीकर प्रिया के साथ मारपीट की गयी तथा पडौसियों ने प्रिया को बचाया। अगले दिन प्रिया की सूचना पर यह लोग भी देहरादून गये, जहां पर चौकी प्रभारी को देहरादून इन्द्रपुरनगर चौकी प्रभारी को सारी घटना बतायी। दिनांक 02–12–2022 को ही प्रिया का मेडिकल चौकी प्रभारी द्वारा सरकारी अस्पताल में करवाया गया, जिस पर विशाल ने प्रिया से माफी मांगी। दिनांक 10–12–2022 को इस गवाह के पिता प्रिया को छोडने उसके ससुराल गये तो प्रिया की ससुराल वालो ने इसके पिता के साथ गाली–गलौच की। उक्त मुकदमे में एफ०आर० लगने के बाद विशाल ने दोबारा प्रिया के साथ मारपीट करना, गाली–गलौच करना शुरू कर दिया और दोबारा प्रिया को खेकडा भेज दिया।

12. सी०डब्लू०–02 संजय वर्मा, जो कि परिवादिनी प्रिया के पिता है तथा सी०डब्लू०–03 राजकमल वर्मा जो कि परिवादिनी के मामा है, ने भी सी०डब्लू०–01 वरूण वर्मा के समान ही बयान दिया है।

13. परिवादिनी तथा सी०डब्लू०–01 व 02 ने उपरोक्त बयानों में परिवाद/प्रार्थनापत्र में किये गये अभिकथनों की पुष्टि की गयी है कि विपक्षी विशाल वर्मा के प्रमोशन के बाद अभियुक्तगण द्वारा प्रिया से दहेज में दस लाख रूपये की मांग की जाने लगी तथा मांग न पूरी होने पर प्रिया के साथ मारपीट की जाने लगी, जिस कारण प्रिया द्वारा पूर्व में देहरादून में विपक्षीगण के विरूद्ध एक मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था, परन्तु विपक्षी विशाल वर्मा द्वारा माफी मांगने पर व आश्वासन देने पर परिवादिनी प्रिया वर्मा के द्वारा अपना घर बचाने की मंशा से समझौता कर लिया गया, जिस कारण पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमे में एफ०आर० प्रेषित कर दी गयी। एफ०आर० प्रेषित होने के उपरान्त विपक्षीगण द्वारा पुनः प्रिया के साथ मारपीट तथा गाली–गलौच की जाने लगी। परिवादिनी तथा सी०डब्लू०–01 व 02 के उपरोक्त बयानों से अभियुक्तगण को अपराध अं०धारा–85 बी०एन०एस० के अंतर्गत तलब किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अं०धारा–351, 352 बी०एन०एस० के सम्बन्ध में कोई कथन परिवादिनी द्वारा अपने बयान अं०धारा–223 बी०एन०एस०एस० तथा सी०डबलू०–01 व 02 द्वारा नहीं किया गया है। अतः विपक्षीगण को अपराध अं०धारा–351, 352 बी०एन०एस० के अंतर्गत तलब किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

14. उल्लेखनीय है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को अपराध अं०धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा 115(2) बी०एन०एस० के विचारण हेतु तलब किया गया है तथा आलोच्य आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परिवादिनी द्वारा अपने बयान में विपक्षीगण द्वारा उससे दहेज के रूप में दस लाख् रूपये की मांग करने व उसके पिता के साथ मारपीट किये जाने का कथन किया है, जिसका समर्थन सी०डब्लू०–01 वरूण वर्मा व सी०डब्लू०–02 संजय वर्मा तथा सी०डब्लू०–03 राजकमल वर्मा ने भी अपने बयानों में किया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि त्रुटिवश विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को अपराध अं०धारा–85 बी०एन०एस० के विचारण हेतु तलब नहीं किया गया है।

15. अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में त्रुटि की गयी है। तदनुसार दाण्डिक निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश में इंगित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए पुनः विधिवत तलबी आदेश पारित करें।

निगरानी की पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार में संचित की जाए।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह विद्वान अवर न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब वापस भेजें।

दिनांकः 01–05–2026

(नीरू शर्मा),

अपर सत्र न्यायाधीश,

त्वरित न्यायालय सं०–01,

बागपत।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 01–05–2026

(नीरू शर्मा),

अपर सत्र न्यायाधीश,

त्वरित न्यायालय सं०–01,

बागपत।